[राज्य सभा में 5 अगस्त, 2011 को पुर:स्थापित रूप में]

2011 का विधेयक संख्यांक 7

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011

भारत के संविधान का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(*2*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,नियत करे।

आठवीं अनुसूची का संशोधन।

2. संविधान की आठवीं अनुसूची में, वर्तमान प्रतिविष्टयां 3 से 22 को क्रमश: प्रविष्टियां 4 से 23 के रूप में पुन: क्रमांक दिया जाएगा और इस प्रकार पुन: क्रमांक दी गई प्रविष्टि 4 से पहले, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"3 भोती।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

'भोती' लद्दाख से तवांग तक भारत के हिमालयी क्षेत्रों, जो जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं, में बोली जाती है। इस भाषा का गौरव और शोभा केवल भारत के हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है बल्कि यह भाषा भूटान, नेपाल, तिब्बत, चीन, मंगोलिया और पाकिस्तान में भी है। विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों, संस्कृतियों और देशों के लोग इस भाषा का उपायोग कर रहे हैं जो स्पष्टत: दर्शाता है कि यह भाषा 'विविधता में एकता' का प्रतिक है। भाषा का अधिकार लोगों का मूलभूत सांस्कृतिक अधिकार है और इसका जुड़ाव उनकी अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सामाजिक प्रणाली और राजनीतिक अधिकार से भी है। यूनेस्को सभी भाषाओं के बीच, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उनकी लिपि है अथवा नहीं, भाषायी समानता की अवधारणा को स्वीकार करता है।

अत्यधिक सामाजिक सांस्कृतिक और भाषायी विविधता की विशेषता वाले राष्ट्र को उन संरचनाओं और प्रक्रियाओं को अवश्य निर्धारित करना चाहिए जो उसकी एकता एवं अखंडता की रक्षा करती हैं। लोगों को दूर रखते हुए, उनके क्षेत्र और भाषा के कारण उन्हें मूलभूत मानव अधिकारों से वंचित करना अनुचित और अमानवीय है। 1991 की जनगणना के अनुसार, असमिया, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और कश्मीरी बोलने वालों की आबादी भोती बोलने वालों की आबादी से कम थी। भोती वह भाषा है जो हिमालयी क्षेत्रों में अधिकाधिक संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है और यह ज्ञान एवं समृद्धि से ओत-प्रोत है। यह साधुओं और कवित्रों की भाषा है, पहाड़ों एवं घाटियों की भाषा है, ऐसी भाषा है जो लोगों को दिल और दिमाग से जोड़ती है, और साथ ही, शांति और संवेदना की भाषा है। जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश सहित पांच राज्यों ने भोती भाषा को मान्यता दी है। बुद्ध की शिक्षा का संग्रह त्रिपिटक भी जिसमें 108 खंड एवं तंत्र हैं, भोती भाषा में उपलब्ध है।

भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति, लोग, संबंध, शासन प्रणाली, पारिस्थितिकी, धर्म, राजनीति, आदि को भी परिलक्षित करती है। दुर्भाग्यवश, भोती भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, हिमालयी क्षेत्रों के लोगों के मन से पराएपन और उपेक्षा की भावना को दूर करने के लिए यह अत्यन्त अनिवार्य है कि इस भाषा को अभिन्नता और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अत:, यह विधेयक प्रस्तुत है।

तरुण विजय

उपाबंध

भारत के संविधान से उद्धरण

** ** **

आठवीं अनुसूची

[अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351]

भाषाएं

1. असमिया।
2. बंगला।
3. बोडो।
4. डोगरी।
5. गुजराती।
6. हिन्दी।
7. कन्नड।
8. कश्मीरी।
9. कोंकणी।
10. मैथिली।
11. मलयालम।
12. मणिपुरी।
13. मराठी।
14. नेपाली।
15. उड़िया।
16. पंजाबी।
17. संस्कृत।
18. संथाली।
19. सिंधी।
20. तमिल।
21. तेलुगू।
22. उर्दू।

** ** **

राज्य सभा

भारत के संविधान का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

(श्री तरुण विजय, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—983RS(S3)—05-08-2011.